

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462023
दूरभाष 0755-2583650 फ़ैक्स 0755-2583651
ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/अ.संवर्ग/संवि./बी/16/2010//24
 प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/3/10


जिला शिक्षा अधिकारी
 दमोह, राजगढ़, सिगरौली,
 टीकमगढ़, सीधी, बुरहानपुर,
 सीहोर एवं बड़वानो म.प्र.

विषय:- अध्यापक संवर्ग के अंतर निकाय संविलियन के संबंध में ।

--00--


विषयान्तर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा से प्राप्त टीप/पत्र में अध्यापक संवर्ग के संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं जिनकी वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

स.क्र.	आवेदक का नाम पदनाम एवं कार्यरत संस्था	मान.मंत्री जी से प्राप्त टीप/प. क्र. व दिनांक	प्रकरण की स्थिति
1	श्रीमती किरण जैन वरि. अध्यापक (रसायन) शा. नवीन केशराम पाण्डे क. उ.मा.वि. दमोह	379/24.02.2010	प्रकरण में दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति / संविलियन आदेश की प्रति संलग्न न होने के कारण संविलियन की अनुमति दी जाना संभव नहीं है ।
2	श्रीमती कान्ता दशोत्तर अध्यापक शा. मा.वि. हालाहेडी जि. राजगढ़	380/24.02.2010	प्रकरण में दोनों निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति / संविलियन आदेश की प्रति संलग्न न होने के कारण संविलियन की अनुमति दी जाना संभव नहीं है ।
3	श्रीमती राजकुमारी सिंह सहायक अध्यापक शा. कन्या पूर्व मा.वि. देवसर जिला सीधी	397/24.02.2010	प्रकरण में संविलियन चाहे गये निकाय की अनापत्ति में संस्था का नाम अंकित न होने के संविलियन अनुमति दी जाना संभव नहीं है ।
4	श्री देवीलाल सं.शा. शि. वर्ग-2 शा. हिन्दी प्रा. शाला शाहपुर जिला बुरहानपुर	436/26.02.2010	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को वर्तमान में संविलियन की पात्रता नहीं आती है ।
5	श्रीमती इंदिरा अहिरवार सं.शा.शि. वर्ग-3 शा. प्राथ.वि. कस्तूरीपुरा जिला राजगढ़	465/03.03.2010	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को वर्तमान में संविलियन की पात्रता नहीं आती है ।


 NEGI

6	श्री कैलाश सुरसिंह भिडे सहायक अध्यापक शा. हिन्दी प्राथ.शाला शाहपुर जिला बुरहानपुर	398/24.02.2010	प्रकरण में शासन परिपत्र दिनांक 08.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को संविलियन की पात्रता न होने के कारण में विचार किया जाना संभव नहीं है ।
7	श्री संजय नागले वरि. अध्यापक शा. उ.मा.वि. लिधौरा जिला टीकमगढ़	निरंक	प्रकरण में शासन परिपत्र दिनांक 08.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को संविलियन की पात्रता न होने के कारण में विचार किया जाना संभव नहीं है ।
8	श्रीमती सुभद्रा चौहान वरि.अध्यापक शा. उ.मा. वि. कुआ जिला बडवानी	निरंक	आवेदिका के आवेदन के साथ चाहे गये संविलियन निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में संविलियन की प्रति संलग्न न होने के कारण प्रकरण पर विचार किया जाना संभव नहीं है ।


अतएव उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक-4 में वर्णित स्थिति के संबंध में आवेदकों द्वारा कर्मी पूर्ति से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर संविलियन की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा । अतः इस संबंध में उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को अपने स्तर से अवगत करावें ।
आयुक्त द्वारा आदेशित ।


29/3/10
उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पु.क्र./अ.संवर्ग/संवि./बी/16/2010/
प्रतिलिपि-

- 1- निज सचिव, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल ।
- 2- संबंधित आवेदकों की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

भोपाल, दिनांक


29/3/10
उप संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश